सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 श्रावण 16, गुरुवार, शाके 1947–अगस्त 7, 2025 अंक 19
Vol. 77 Sravana 16 , Thursday, Saka 1947–August 7, 2025 No. 19

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुनीता जाखड़ (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व सुनीता कुमारी (पुराना नाम) कहलाती थी एवं जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में सीएचसी जेजूसर खण्ड नवलगढ जिला झुन्झुनू (स्थान जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त थी, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरे पति एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम सुनीता उपनाम कुमारी (सिर्फ) को त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम सुनीता तथा उपनाम जाखड़ ग्रहण करती हूँ एवं इसलिए मैं मेरे पति, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम सुनीता कुमारी (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम सुनीता जाखड़ द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम सुनीता तथा उपनाग कुमारी (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में सुनीता नाम के रूप में तथा जाखड उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगी एवं हस्ताक्षर करूँगी।
3. स्पष्टतः एतदद्वारा तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों की मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम सुनीता उपनाम जाखड़ नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम सुनीता कुमारी तथा सुनीता जाखड़ का वर्णन किया है तथा दिनांक 25.06.2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम सुनीता जाखड़ द्वारा जो पूर्व में सुनीता कुमारी कहलाती थी, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. सुनील कुमारी पुत्री श्री जयनारायण, पद–एन.ओ. कार्यालय सामु.स्वा. केन्द्र, जेजूसर, जिला झुंझुनूं
2. सरोज कुमारी पुत्री श्री रामेश्वर सिंह, पद–एन.ओ. कार्यालय सामु.स्वा. केन्द्र, जेजूसर, जिला झुंझुनूं

सुनीता कुमारी
हस्ताक्षर
नया नाम : सुनीता जाखड़
पुराना नाम : सुनीता कुमारी

ATTESTED
B. L. DHAKA
25-06-2025
NOTARY PUBLIC
JHUNJHUNU (RAJ.).

प्रतिहस्ताक्षर
डॉ. प्रहलाद सिंह खरींटा
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
नवलगढ़, जिला झुन्झुनूँ।

10110

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।